राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज,बिजनौर
Rajkiya Engineering College, Bijnor
An Institute of Government of Uttar Pradesh
(AICTE APPROVED)
Jaleelpur Road, Near Eidgah,
Chandpur, Distt- Bijnor,
Uttar Pradesh, India -246725.
Website : www.recb.ac.in
Ph: 01345-221301
Fax 01345-221302

पत्रांक सं0: रा0इ0का0 / छ0प्र0 / छा0सू0 / 2021–22 / 05–a

दिनांक: 23/ 09 / 2021

–:: अतिमहत्वपूर्ण सूचना ::–

सत्र 2021–22 हेतु संस्थान में अध्ययनरत बी0टेक द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ वर्ष के छात्रवृत्ति हेतु पात्र छात्र–छात्राओं का छात्रवृत्ति / शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु आवेदन फार्म ऑन लाइन के माध्यम से भरा जाना है। समाज कल्याण विभाग की वेबसाइट **scholarship.up.nic.in** पर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ती आवेदन करने के उपरान्त उसका प्रिन्ट लेकर सभी संलग्नकों सहित (हार्ड व साफ्ट कापी (अधिकतम् 2 एम0 बी0)) जमा किया जाना अनिवार्य है। जिसके लिए आप को समयानुसार ई मेल के माध्यम से सूचना प्रेषित कर दी जायेगी। छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति आवेदन के साथ निम्न लिखित संलग्नको का विवरण निम्नवत् है।

संलग्नक :

1. दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति ऑनलाइन फीडेड आवेदन पत्र की प्रिन्ट की कापी।
2. हाईस्कूल, इण्टरमीडिएट की मार्कसीट व पास सर्टिफिकेट की फोटो कापी।
3. गत वर्ष के परीक्षा परिणाम की छाया प्रति।
4. आय प्रमाण–पत्र (माता–पिता / अभिभावक के नाम) तथा इन्टरनेट की सत्यापन प्रति के साथ।
5. जाति प्रमाण पत्र की फोटो कापी इन्टरनेट की सत्यापन प्रति के साथ (सामान्य वर्ग को छोड़कर)।
6. निवास प्रमाण–पत्र की फोटो कापी। (उ0प्र0 राज्य का स्थाई निवासी हो)
7. संस्थान में जमा किये गये शुल्क की रसीद (रसीद संख्या सहीत) की फोटो कापी। (यदि आवेदन ने विवरण दिया हो)
8. यदि छात्र हास्टल में आवासित है, तो हास्टल द्वारा प्रदान की गयी शुल्क की रसीद की सत्यापित प्रति।
9. बैक पास बुक की छाया प्रति (जिसमें छात्र / छात्रा के नाम व खाता संख्या एवं IFSC कोड अंकित हो) संस्था में संचालित बैक का हो एवं सभी छात्रों का आधार बैंक से लिंक होना अनिवार्य है।
10. छात्र एवं उनके माता–पिता / अभिभावक द्वारा रू0 10 / – के स्टाम पेपर पर इस आशय का शपथ–पत्र कि छात्र के आवेदन पत्र के साथ संलग्न आय प्रमाण पत्र में दर्शायी गयी आय समस्त स्रोतों से सही है एवं इसके अतिरिक्त आय का कोई श्रोत नहीं है, नोटरी कराकर संलग्न करें।
11. छात्र – छात्रा एवं उनके माता – पिता के आधार कार्ड की छायाप्रति।
12. शुल्क प्रतिपूर्ति के लिए आवेदन में केवल अनिवार्य नॉन रिफेन्डेबिल शुल्क भरा जाना अनिवार्य है।

समाज कल्याण विभाग द्वारा दिये जाने वाला नॉन रिफन्डेबुल शुल्क		
2nd Year	3rd Year	4th Year
रू0 54,045/-	रू0 54,045/-	रू0 54,545/-

नोट :–

1. आवेदन फार्म को अन्तिम स्तर पर जमा करने से पूर्व छात्र–छात्राऐं यह सूनिश्चित कर ले कि आप के द्वारा प्रविष्ट सूचना सही होनी चाहिए। सही से जॉच कराने के बाद ही अन्तिम स्तर पर जमा करने के उपरान्त प्रिन्ट लें। किसी भी प्रकार की त्रुटि होने की दशा में छात्र–छात्राए स्वयं जिम्मेदार होगें।

(संतोष कुमार)

Scanned with CamScanner

राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज,बिजनौर
Rajkiya Engineering College, Bijnor
An Institute of Government of Uttar Pradesh
(AICTE APPROVED)
Jaleelpur Road, Near Eidgah,
Chandpur, Distt- Bijnor,
Uttar Pradesh, India -246725,
Website : www.recb.ac.in
Ph: 01345-221301
Fax 01345-221302

पत्रांक सं0: रा0इ0का0 / छ0प्र0 / छा0सू0 / 2021–22 / 05-6 दिनांक: 23/09/2021

–: छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति से सम्बन्धित आवश्यक सूचना :–

संस्थान में अध्ययनरत् छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु पात्र नवीनीकरण हेतु छात्र–छात्राओं को सूचित किया जाता है कि सत्र 2021–22 में छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति आवेदन का आन लाइन के माध्यम से फार्म भरने से पहले निम्नलिखित बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुये छात्र–छात्रायें अपना–अपना छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति का आवेदन समाज कल्याण विभाग के निर्देशानुसार निर्धारित तिथि के अनुसार भरना सुनिश्चित करें। किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए छात्र–छात्राए स्वयं जिम्मेदार होगें।

1. सत्र 2021–22 में पूर्व सत्र में आवेदन कर चुके पात्र छात्र–छात्रायें नवीनीकरण (Renew) करेगें ।
2. यदि कोई छात्र वार्षिक परीक्षा में अनुत्तीर्ण/ईयर बैक/Re-Admitted हो जाते है वे छात्र छात्रवृत्ति फार्म भरने के पात्र नही होगे।
3. नवीनीकरण के छात्र–छात्रायें छात्रवृत्ति आवेदन को अंतिम स्तर पर जमा करने से पूर्ण यह सूनिश्चित करले कि उनके द्वारा आवेदन में जो सूचना प्रविष्ट की गई है वह पूर्ण रूप से सही होनी चाहिए। जैसे :– इनरोलमेन्ट संख्या, गत वर्ष का प्राप्तांक/पूर्णक, वर्तमान सत्र में प्रवेश की तिथि, बैंक खाता संख्या, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र के क्रमांक इत्यादि।
4. नवीनीकरण के छात्र–छात्रायें को सूचित किया जाता है कि छात्रवृत्ति आवेदन के समय छात्र–छात्राओं के द्वारा अपना आय एवं जाति प्रमाण पत्र वैद्य था। तो वह आय एवं जाति प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम पूर्ण होने तक वैद्य ही रहेगा। उसकी तिथि निकलने पर भी अन्य प्रमाण पत्र न लगाया जाये। यदि किसी भी छात्र–छात्रा के द्वारा उपरोक्त प्रमाण पत्र बदल देता है। तो उसका छात्रवृत्ति आवेदन निरस्त माना जायेगा।
5. वर्ष 2021–22 में नवीनी करण के छात्रों को आधार नम्बर के साथ–साथ एनरोलमेन्ट नम्बर भरना अनिवार्य होगा। तथा छात्र–छात्राओं को अपना आधार कार्ड न0 को सम्बन्धित बैक खाता से लिंक कराना अनिवार्य है।
6. संस्थान में अध्ययनरत अभ्यार्थी को समाज कल्याण विभाग के निर्देशानुसार निर्धारित अन्तिम तिथि तक ऑनलाइन छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति का आवेदन पत्र भरना होगा। अन्तिम तिथि के पश्चात् भरे जाने वाले ऑनलाइन छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति आवेदन पत्रों पर विचार नही किया जायेगा।
7. किसी भी समूह में छात्र के वार्षिक परीक्षा में असफल रहने की स्थिति में उसकी छात्रवृत्ति का नवीनीकरण नही हो सकेगा। सम्बन्धित छात्रों को तबतक अपना खर्च स्वयं वहन करना होगा। जबतक वह अगली उच्चतर कक्षा में प्रोन्नत नही हो जाता है।
8. छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति, अभ्यार्थी की संतोष जनक प्रगति एवं आचरण पर निर्भर करती है। यदि किसी समय संस्थान प्रमुख द्वारा समाज कल्याण विभाग को सूचित किया जाता है कि कोई अभ्यार्थी स्वंय अपने आचरण अथवा चूक के कारण संतोष जनक प्रगति करने में असफल रहा है अथवा उसे दुर्व्यवहार जैसे– हडताल करने या उसमें भाग लेने, सम्बन्धित प्राधिकारियों की अनुमति के बगैर उपस्थिति में अनियमितता आदि में दोषी पाया जाता है तो छात्रवृत्ति संस्वीकृत करने वाला प्राधिकारी या तो छात्रवृत्ति रद्द कर सकता है या तो रोक सकता है। या ऐसी अवधि, जो वह उचित समझे, तक के लिये आगे का भुगतान रोक सकता है।
9. छात्रों की **कक्षाओं में 75% उपस्थिति अनिवार्य है** जिन छात्र–छात्राओं की कक्षाओं में उपस्थिति 75% से कम पायी जाती है उन छात्र–छात्राओं का छात्रवृत्ति फार्म को संस्थान से अग्रेसित नही किया जायेगा।

(सन्तोष कुमार)

प्रतिलिपि :–

1. मा0 निदेशक महोदय को सूचनार्थ प्रेषित।
2. कुलसचिव महोदय को सूचनार्थ प्रेषित।
3. अधिष्ठाता छात्र कल्याण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4. छात्रवृत्ति जॉच कमेटी के सदस्यों को इस आशय से की समस्त अभिलेखों को जॉचोपरान्त फार्म अग्रसारित करने का कष्ट करें।
5. वेबसाइट प्रभारी को पत्र वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।
6. समस्त सूचना पट्ट/समस्त छात्रावास सूचना पट्ट।
7. विभागीय पत्रावली।

(सन्तोष कुमार)

Scanned with CamScanner